न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
87 / 20	26.10.2020	23.12.2021

उनवान

1. जोरू पुत्र जीवन
2. जैकम पुत्र बदरूदीन
3. आजम पुत्र बदरूदीन जाति मेव निवासी मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थिति:–

1. श्री मुहम्मद इमरान वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–:निर्णय:–

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:–

वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बृंसगपुर तहसील किशनगढबास मे आराजी 847 रकबा 4–19 बिस्वा जिसका पुराना नम्बर 561 रकबा 4–19 बिस्वा है पैमूद हुआ है। विवादित आराजी सुगडा, परताप पुत्रान चकमल समभाग राहिनान कमला पुत्र धनसिह मुर्तहन रिकार्ड सम्वत 2013 से ताहाल रिकार्ड सम्वत 2013 से पूर्व से ही विवादित आराजी पर वादीगण व उनके बुर्जुगो का कब्जा काश्त रहा । सम्वत 2013 से पूर्व से वादीण के बुर्जुगान शान्तिपूर्वक बिना किसी मुखालफा का काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के परदादा कमाल पुत्र धनसिह का जमाबन्दी सम्वत 2013 के बहैसियतं मुर्तहन इन्द्राज हो रहा है तथा खुदकाश्त मुर्तहन दर्ज जमाबन्दी सम्वत 2013 से ताहाल चहा आ रहा है । राहिनान सुगडा परताप पुत्र चकमल पाकिस्तान चले गये थे।

वादीगण उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक सयुक्त काबिज काश्त है वादीगण से पूर्व वादीगण के बुर्जुगान काश्त करते थे इसलिए राज्य सरकार के राजस्व ग्रुप –10 के परिपत्र दिनांक 6.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार कब्जा सिद्व के आधार पर वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद पत्र वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे।

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे की वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 1.25 हे. जिसका की साबिक खसरा नम्बर 561 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बृंसगपुर तहसील किशनगढबास मे स्थित है को काश्तकार खातेदार है जो आराजी वादीगण को उसके बुजुगो से विरासत मे प्राप्त हुई है आराजी पर विवादित व उसके बुजुगो का 70 वष से ज्यादा समय से लगातार कब्जा चला रहा है ऐसी सूरत मे वादीगण राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 6.10.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 के अनुसार कब्जा सिद्व करा नियमानुसार राशि राज कोष जमा करा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए वाद वादीगण प्रस्तुत करना लाजिम आया है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादी पैरोकार सरकार जबाब दावा पेश कर निर्णय न्यायायल श्रीमान किये जाने निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने साक्ष्य मे रूप मे पी.डब्ल्यू 1 जोरू, पी.डब्ल्यू 2 मोहम्मद खां शपथ पत्र पेश किया । पी.डब्ल्यू 2 प्रदर्श कलमबद्व कराये गये। प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल , पी.डब्ल्यू 2 हाल जमाबन्दी सम्वत 2070 प्रदर्श 2 , हाल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2017 प्रदर्श 5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 प्रदर्श 6, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2015 प्रदर्श 7, नकल गिरदावरी सम्वत 2011–13 प्रदर्श 8 पेश किये।

वकील वादीगण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस मे वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिक्री किये जाने की इश्तदुआ की। तथा वकील वादीगण ने निवेदन किया की सम्वत 2013 से ताहाल जमाबन्दी मे वादीगण के बुर्जुगान का नाम मुर्तहन दर्ज रिकार्ड है । तथा तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौके पर, वादीगण का कब्जा काश्त है। इसलिए वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन कियां। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे परताप पुत्र चकमल हिस्सा 1/2 जाति मेव सा. देह गैरखातेदार अ.वि.वि. राहिनान कमला पुत्र धनसिह मेव सा. देह मुर्तहन एवं सुगडा पुत्र चकमल हिस्सा 1/2 जाति मेव सा. देह गैर खातेदार अ.वि. वि. राहिनान कमला पुत्र धनसिह मेव सा. देह मुर्तहन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रदर्श 1 मिलानक्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 847 रकबा 4–19 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 561 मिन रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास बना है जमाबन्दी सम्वत 2013 के साबिक आराजी 516 रकबा 9 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

08 बिस्वा सुगड़ा वैगरा मुन्दर्जे खेवट नम्बर 22 राहिनान कमाल पुत्र धनसिंह मेव सा. मिर्जापुर मुर्तहन बिला हिस्सा शामलात दर्ज रिकार्ड है तथा प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत 2017 मे भी साबिक आराजी 561 रकबा 9 बीघा 08 बिस्वा किस्म मट्यार दो बारानी 6 बीघा गै. मु. नला 3 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर मे सुगड़ा फरमान पुत्रान चकमल सममाग राहिनान कमाल पुत्र धनसिंह मेव साकिन मुर्तहन बकायत मुर्तहन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। साबिक आराजी 561 का कुल रकबा 9 बीघा 08 बिस्वा वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास है जिसमे मट्यार दो बारानी 6 बीघा ,गै. मु. नला 3 बीघा 08 बिस्वा शामिल है साबिक आराजी 561 रकबा 9 बीघा 08 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 847 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा जो वादीगण के नाम सम्वत 2013 से ताहाल मुर्तहन दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा 848 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा सिवायचक बजड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार किशनगढबास के पत्र क्रमांक /राजस्व/20/302 दिनांक 02.12.2020 के अनुसार आराजी उक्त 847 रकबा 1.25 हे. पर जोरु पुत्र जीवण 1/2 हिस्सा एवं जैकम , आजम पुत्रान बदरु 1/2 हिस्सा जाति मेव सा. मिर्जापुर तहसील किशगनढबास का कब्जा काश्त है। चूकी राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के बुर्जुगान मुतहल दर्ज रिकार्ड है मौके पर कब्जा काश्त है इसलिए वाद वादीगण कब्जा बाखूबी सिद्व होता है इसलिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है। वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है। न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है।

अतः आदेश है :-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 1.25 हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास को काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है । वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदार अधिकार प्रदत्त किये जाते है राशि जर्ये चालान जमा कोष होकर वादी सख्या 1 को 1/2 एवं वादी सख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा समभाग की सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज राहिनान एवं मुर्तहन के नाम के समस्त अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
67/20	26.10.2020	23.12.2021

पर्चाडिक्री

उनवान

जोरू पुत्र जीवन
जैकम पुत्र बदरूदीन
आजम पुत्र बदरूदीन जाति मेव निवासी मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थिति :–

1. श्री मुहम्मद इमरान वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

....

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 847 रकबा 1.25 हे. वाके ग्राम बूसंगपुर तहसील किशनगढबास को काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है । वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर खातेदार अधिकार प्रदत्त किये जाते है राशि जर्ये चालान जमा कोष होकर वादी सख्या 1 को 1/2 एवं वादी सख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा समभाग की सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज राहिनान एवं मुर्तहन के नाम के समस्त अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रारूप सख्या
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूंकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्कान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	जोरू बनाम सरकार मु.न. 87/2020 निर्णय दिनांक 23.12.2021
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	जोरू पुत्र जीवन जाति मेव निवासी मिर्जापुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर 1/2 भाग जैकम , आजम पुत्रान बदरूदीन जाति मेव निवासी मिर्जापुर तहसील किशनगढबास 1/2 भाग समभाग
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम बृंसगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा 847 रकबा 1.25 हे. वाके ग्राम बृसंगपुर तहसील किशनगढबास किस्म बारानी सोयम
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालान नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 56815459 से राशि 20,000 रू.(बीस हजार रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 56815192 से राशि 10,000 रू.(दस हजार रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः— यह सनद राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आराजी उक्त के गैर खातेदार राहिनान, मुर्तहन के समस्त अंकन पर जारी की गई।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

क्रमांक/सम/2021/1387-91 दिनांक :— 28/12/21

प्रतिलिपिः—

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी जोरू पुत्र जीवन वैमरा जाति मेव निवासी बृसंगपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

श्रीमान तहसीलदार, पटवारी हल्का व प्रार्थी को कॉपी प्राप्त की
[illegible]
28/12/21